रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240086
CG-DL-E-07112022-240086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/ कार्तिक 16, 1944
No. 544] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/ KARTIKA 16, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022

क्रम मि. स० 1–3/2021 (क्यूआईपी).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः –

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन–

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित है, तथा ऐसा प्रत्येक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान हैं।

(3) ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

क) ''अधिनियम'' का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

ख) अनुबंधक संकाय" का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया

है;

ग) "संचित ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाता है;

घ) ''क्रेडिट'' का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन–क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता है;

ङ) ''महाविद्यालय'' का अर्थ है उच्चतर शिक्षण और/या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है;

च) ''आयोग'' का अर्थ यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

छ) ''पाठ्यक्रम'' का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती हैं;

ज) ''कोर्स वर्क'' का अर्थ है स्कूल/विभाग/केंद्र द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम;

झ) ''उपाधि'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

ञ) ''बाह्य परीक्षक'' का अर्थ है एक शिक्षाविद/छात्रवृति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ उस उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है;

ट) ''विदेशी शैक्षिक संस्थान'' का अभिप्राय– (प) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (पप) जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से।

ठ) ''ग्रेड प्वाइंट'' का अर्थ है 10–बिंदु पैमाने पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित संख्यात्मक भार;

ड) ''गाइड/शोध पर्यवेक्षक'' का अर्थ है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करे।

ढ) ''उच्चतर शिक्षण संस्थान'' का अर्थ इन विनियमों के विनियम 1 के खंड 2 के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान है;

ण) "अंतर्विषयक शोध'' का अर्थ है दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किया गया शोध;

त) ''मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम'' का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 के तहत परिभाषित है;

थ) ऑनलाइन माध्यम का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 के तहत परिभाषित है;

द) ''साहित्यिक चोरी'' का अर्थ है किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराना।

ध) ''कार्यक्रम'' का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;

न) ''विवरण–पुस्तिका'' का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो;

प) ''शोध प्रस्ताव'' का अर्थ है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

फ) ''विश्वविद्यालय'' का अर्थ एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम, या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित एक उच्चतर शिक्षण संस्थान है, और इसमें अधिनियम की धारा 3 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने वाला उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में परिभाषित और इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा।

3. **पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड** – निम्नवत अभ्यर्थी पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :–

(1) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है:–

i). 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1–वर्ष/2–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3–वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2–वर्षीय/4–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55: अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5: अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75: अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय–समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5: अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2)एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55: अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी–ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

4. कार्यक्रम की अवधि–

(1) पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40: से अधिक विकलांगता वाले) को दो (2) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश की प्रक्रिया–

(1) प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

(2) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता हैः

(क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

और/या

(ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में 50ः प्रश्न शोध पद्धति तथा 50ः विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे।

(ग) प्रवेश परीक्षा में 50ः अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(घ) आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5ः अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ड) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं।

(च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए 70ः और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30ः का महत्व दिया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएच.डी. कार्यक्रम चलाने के पात्र है, वेः

i. दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषय–वार संवितरण, दाखिले का मानदंड, दाखिले की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी संगत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरण–पुस्तिका को पहले से ही सूचित करेंगे;

ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

(4) उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची का रख–रखाव (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग/स्कूल/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), पीएच.डी. के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ (पंजीकृत पीएच.डी. छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए) अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेंगें।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण–शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, आदि।

(1) उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें वि"वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हों सकते हैं, पर वहां वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाएँ नहीं है, या केवल सीमित संख्या में हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।

एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह–पर्यवेक्षकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

अनुबंध संकाय सदस्य (एडजंक्ट फैकल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(2) अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/स्कूल/केंद्र/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (8)/छह (6)/चार (4) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते है।

(4) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी.महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान के पूर्व में किए गए शोध कार्य के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(5) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

7. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश –

(1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थियों की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड 6.3 में निर्दिष्ट है।

(2) उच्चतर शिक्षण संस्थान संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिले के लिए अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

8. किसी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या, एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह–पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या खंड 6.3 और खंड 7.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

9. कोर्स वर्क– क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड आदि।

(1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें ''शोध और प्रकाशन नैतिकता'' कोर्स, जैसा कि यूजीसी द्वारा डी.ओ. मि० सं० 1–1/2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती हैं।

(2) सभी पीएच.डी. शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते है।

(3) एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंधन (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम 55: अंक या यूजीसी 10–पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

10. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य–

(1) प्रत्येक पीएच.डी. छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी या समकक्ष निकाय, जैसा कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के कानूनों/अध्यादेशों में परिभाषित किया गया है। पीएच.डी. शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक इस समिति के संयोजक होंगे और इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगेः

i. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

ii. शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम (ओं) की पहचान कराना।

iii. पीएच.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता करना।

(2) प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पीएच.डी. शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करेंगे और प्रस्तुति देंगे। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी सिफारिशें संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगी। ऐसी सिफारिशों की एक प्रति पीएच.डी. शोधार्थी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि पीएच.डी. शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारण दर्ज कर पीएच.डी. शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

11. उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट, आदि–

(1) पाठ्यक्रम का काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने और उपरोक्त विनियम 9 के खंड (3) में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(2) शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व, पीएच.डी. शोधार्थी संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य तथा अन्य शोधार्थी/विद्यार्थी उपस्थित होंगे।

(3) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के पास शोध कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र का होना आवश्यक है और शोध सत्यनिष्ठा पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के निमित सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा।

(4) पीएच.डी. शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ (क) शोधार्थी से एक वचनवद्धता प्राप्त करना होगा जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है और, (ख) शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध प्रबंध/थीसिस की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि यह शोध प्रबंध किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा के पाठ्यक्रम करने के लिए थीसिस जमा नहीं किया गया है।

(5) किसी भी पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनको संबंधित विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की सुकीर्ति प्राप्त हो। यथासंभव, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा में बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा और यह ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण/संकाय सदस्य/शोध अन्य शोधार्थियों तथा छात्र भाग ले सकते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान इस विनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त नियम/अध्यादेश तैयार कर सकते हैं।

(6) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में आयोजित की जाएगी जब दोनों बाह्य परीक्षक उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं। यदि इन बाह्य परीक्षकों में से कोई एक अस्वीकृति की सिफारिश करता है, तो संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल से एक वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को थीसिस भेजेगा और मौखिक परीक्षा केवल तभी

आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश करता है। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और पीएच.डी शोधार्थी को पीएच.डी. के अवार्ड के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(7) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया वाइवा–वॉयस परिणाम की घोषणा सहित पीएच.डी. थीसिस, थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

12. पीएच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं–

(1) वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो 4–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं, पीएच.डी. कार्यक्रम चला सकते हैं। बशर्ते, वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों, अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हों।

(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित वे महाविद्यालय और शोध संस्थान जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश कर सकेंगे, बशर्ते कि उनके पासः–

i. एक महाविद्यालय में कम से कम दो संकाय सदस्य या शोध संस्थान में दो पीएच.डी. उपाधि धारक वैज्ञानिक होने चाहिए।

ii. उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता, अनुसंधान सुविधाएं और पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था हो।

13. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.–

(1) अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो किः

i. उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

ii. उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

iii. यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का शोध संस्थान दूरस्थ और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

14. एम.फिल.उपाधि की स्वीकृति– उच्चतर शिक्षण संस्थान एम.फिल.(मास्टर ऑफ फिलॉसफी) उपाधि प्रदान नहीं करेंगे।

15. अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना– उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला उच्चतर शिक्षा संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

16. इन विनियमो की अधिसूचना से पूर्व पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना– इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.फिल उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच.डी. पाठ्क्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके प्श्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016, जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच.डी. कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रावधानो द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम.फिल उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. **इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी**– पीएच.डी. उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. शोध प्रबंधन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी उच्चतर और अनुसंधान संस्थानों को यह सुलभ हो।

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./367/2022-23]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedures forAward of Ph.D. Degree)

Regulations, 2022

No. F. No. 1-3/2021(QIP).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil. /Ph.D. Degree) Regulations, 2016 and its amendments, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Short title, Application, and Commencement. –

(1) These Regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022.

(2) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, every college, and every institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means the University Grants Commission Act,1956 (3 of 1956);

b) "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by a Higher Educational Institution;

c) "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of allcourses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;

d) "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;

e) "College" means an institution engaged in higher education and/or research, either established by a University as its constituent unit or is affiliated with it;

f) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the UGC Act1956;

g) "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;

h) "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree;

i) "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22 (3) of the Act;

j) "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of the Higher Educational Institutionwhere the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme;

k) "Foreign Educational Institution" means–(i) an institution duly established or incorporated in its home

country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode;

l) "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale;

m) "Guide/Research Supervisor" means an academician/researcher recognized by Higher Educational Institution to supervise the Ph.D. scholar for his/her research;

n) "Higher Educational Institution" means a university or institution specified under clause 2 of Regulation 1 of these Regulations;

o) "Interdisciplinary Research" means research conducted by a Ph.D. scholar in two or more academic disciplines;

p) "Open and Distance Learning Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

q) "Online Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

r) "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own;

s) "Programme" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the Act;

t) "Prospectus" means any document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to a Higher Educational Institution and programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institutions) by the Higher Educational Institutions;

u) "Research Proposal" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme;

v) "University" means a Higher Educational Institution established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, and shall include any institution for higher education deemed to be a University under Section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in Act and not consistent with these Regulations shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. Eligibility criteria for admission to the Ph.D. Programme.-The following are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

(1) Candidates who have completed:

i. A 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed

or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

(2) Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its

equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

4. Duration of the Programme.- (1) Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three (3) years, including course work, and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

(2) A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration as per the Statute/Ordinance of the Higher Educational Institution concerned; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (2) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) yearsfrom the date of admission in the Ph.D. programme.

(3) Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240days in the entire duration of the Ph.D. programme.

5. Procedure for admission. -

(1) The admission shall be based on the criteria notified by the institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory/regulatory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

(2) Admission to the Ph.D. programme shall be made using the following methods:

i. HEIs may admit students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET/UGC- CSIR NET/GATE/CEED and similar National level tests based on an interview.

And/or

ii. HEIs may admit students through an Entrance Test conducted at the level of the individual HEI. The Entrance Test syllabus shall consist of 50% of research methodology, and 50% shall be subject-specific.

iii. Students who have secured 50 % marks in the entrance test are eligible to be called for the interview.

iv. A relaxation of 5 % marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

v. HEIs may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

vi. Provided that for the selection of candidates based on the entrance test conducted by the HEI, a weightage of 70 % for the entrance test and 30 % for the performance in the interview/viva- voce shall be given.

(3) Universities and Colleges which are eligible to conduct Ph.D. programmes, shall:

i. Notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the numberof seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, the procedure for admission, and all other relevant information for the candidates;

ii. Adhere to the National/State-level reservation policy, as applicable.

(4) The Higher Educational Institution shall maintain a list of Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his or her designation, and the department/school/centre), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph.D. scholar, thetopic of his/her research and the date of

admission) admitted under them on the website ofthe institution and update this list every academic year.

6. Allocation of Research Supervisor.- Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per supervisor, etc.

(1) Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor of the Higher Educational Institution with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in Higher Educational Institutions with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the university where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Ph.D. awarded by a university under the supervision of a faculty member who is not an employee of the university or its affiliated Post- graduate Colleges/institutes would be in violation of these Regulations.

For Ph.D. scholars working in Central government/ State government research institutions whose degrees are given by Higher Educational Institutions, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as supervisors if they fulfill the above requirements.

Provided that in areas/disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, the Higher Educational Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

Co-Supervisors from within the same department or other departments of the same institution or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority.

Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as co-supervisors.

(2) In case of interdisciplinary/multidisciplinary research work, if required, a Co-Supervisor from outside the Department/School/Centre/College/University may be appointed.

(3) An eligible Professor/Associate Professor/Assistant Professor can guide up to eight (8) / six (6) / four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

(4) In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the Higher Educational Institution to which the scholar intends to relocate, provided all the other conditions in these Regulations are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/Supervisor by any funding agency. Such scholar shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

(5) Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

7. Admission of International students in Ph.D. programme.-

(1) Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 6.3 above.

(2) The HEIs may decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by statutory/regulatory bodies concerned from time to time.

8. At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a supervisor or a co-supervisor, shall not exceed the number prescribed in clause 6.3 and clause 7.1.

9. Course Work.- Credit requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

(1) The Credit requirement for the Ph.D. coursework is a minimum of 12 credits, including a "Research and Publication Ethics" course as notified by UGC vide D.O. No. F.1- 1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course. The Research Advisory Committee can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. programme.

(2) All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching /education /pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.

(3) A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

10. Research Advisory Committee and its Functions.- (1)There shall be a Research Advisory Committee or an equivalent body as defined in the Statutes/Ordinances of the Higher Educational Institution concerned for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the Ph.D. scholar concerned shall be the Convener of this committee, and this committee shall have the following responsibilities:

i. To review the research proposal and finalize the topic of research.

ii. To guide the Ph.D. scholar in developing the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

iii. To periodically review and assist in the progress of the research work of the Ph.D.scholar.

(2) Each semester, a Ph.D. scholar shall appear before the Research Advisory Committee to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/her work for evaluationand further guidance. The Research Advisory Committee shall submit its recommendations along with a copy of Ph.D. scholar's progress report to the Higher Educational Institution concerned. A copy of such recommendations shall also be provided to the Ph.D. scholar.

(3) In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

11. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree,etc.-

(1) Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed inclause (3) of Regulation 9 above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis.

(2) Before submitting the dissertation/thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the Research Advisory Committee of the Higher Educational Institution concerned, which shall also be open to all faculty members and other research scholars/students.

(3) The Higher Educational Institution concerned shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

(4) A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution.

(5) The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners who are experts in the field and not in employment of the Higher Educational Institution concerned. Such examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publications in the field. Wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the two external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of the Research Advisory Committee/faculty members/research scholars, and students. Higher Educational Institutions may formulate appropriate rules/ordinances to effect the provisions of this Regulations.

(6) The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiners recommends rejection, the Higher Educational Institution concerned shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D.

(7) The Higher Educational Institution concerned shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

12. Academic, research, administrative, and infrastructure requirements to be fulfilled by Colleges for getting recognition for offering Ph.D. programmes.-

(1) Post-graduate Colleges offering 4-year Undergraduate Programmes and/or Post-graduate Programmes, may offer Ph.D. programmes, provided they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure, and supporting administrative and research facilities as per these Regulations.

(2) Colleges and research institutions established by the central government or a State government whose degrees are awarded by Higher Educational Institutions shall offer Ph.D. programmes provided they have:

i. At least two faculty members in a college or two Ph.D.-qualified scientists in the research institution.

ii. Adequate infrastructure, administrative support, research facilities and library resources as specified by the HEI.

13. Ph.D. through Part-time Mode-

(1) Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

(2) The Higher Educational Institution concerned shall obtain a "No Objection Certificate" through the candidate for a part-time Ph.D. programme from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:

i. The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.

ii. His/her official duties permit him/her to devote sufficient time for research.

iii. If required, he/she will be relieved from the duty to complete the course work.

(3) Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other law, for the time being in force, no Higher Educational Institution or research institution of the Central government or a State Government shall conduct Ph.D. programmes through distance and/oronline mode.

14. Grant of M.Phil. Degree.- Higher Educational Institutions shall not offer the M.Phil.(Masterof Philosophy) programme.

15. Issuing a Provisional certificate.-Prior to the actual award of the Ph.D. degree, the degree- awarding Higher Educational Institution shall issue a provisional certificate to the effect that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of these Regulations.

16. Award of Ph.D. degrees prior to Notification of these Regulations.- Award of degrees to candidates registered for the Ph.D. programme on or after July 11, 2009, till the date of Notificationof these Regulations shall be governed by the provisions of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016 as the case may be. Further, the award of degrees to candidates already registered and pursuing Ph.D. shall be governed by these Regulations or UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016. Nothing in these Regulations shall impact the M.Phil. degree programmes commencing prior to the enactment of these Regulations.

17. Depository with INFLIBNET.- Following the successful completion of the evaluation processand before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the Higher Educational Institution concerned shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to INFLIBNET, for hostingthe same so as to make it accessible to all the Higher Educational Institutions and research institutions.

RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./367/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.07 21:44:07 +05'30'